महत्वपूर्ण एवं खास

जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 में सीधी भर्ती हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ

» रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 10 दिसम्बर 2019

» 8 फरवरी 2020 को आयोजित होगी चयन परीक्षा

न्याय साक्षी/रायगढ़। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2020-21 के कक्षा 9 वीं में रिक्त सीटों के लिए सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 8 फरवरी 2020 को आयोजित की जा रही है। जिसके लिए छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाईट www.navodaya.gov.in एवं www.nvsadmissionclassnin.in पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर सकते है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2019 है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

भुईयां डाटाबेस से मिलान के बाद अधिक पंजीकृत रकबे का होगा सत्यापन-कलेक्टर

» रकबे का स्थल निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन किया जाएगा

» छत्तीसगढ़ के वास्तविक किसानों को पहुंचे लाभ

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान खरीदी के लिए पंजीकृत रकबा का भुईयां डाटाबेस से मिलान उपरांत अधिक पंजीकृत रकबा का सत्यापन किया जाना है। रकबा का सत्यापन पटवारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर किया जा रहा है। भुईयां डाटाबेस से सत्यापन को लेकर किसानों के मध्य यह अफवाह है कि उनके पंजीकृत रकबे कम किए जा रहे है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि रकबे में कमी नहीं की जा रही है, बल्कि उनका स्थल निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। स्थल निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन की आवश्यकता भूमि अधिग्रहण, पड़त भूमि, उद्यानिकी व अन्य फसल उत्पादित करने के कारण हुई है।

डायल 112 इवेंट...

न्याय साक्षी/रायगढ़।

मेडिकल इमरजेंसी

दिनांक 28.11.2019 के सुबह कोतवाली (जूटमिल) राइनो-2 को मिट्ठूमुड़ा में छत से गिरकर घायल हुये व्यक्ति के लिए मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट मिला। कोतवाली राइनो-2 इवेंट पर मिट्ठूमुड़ा पहुंची। जहां काशीराम सारथी पिता खीरासारथी उम्र 38 वर्ष मोहल्ले के एक घर में छत में काम करते समय पैर फिसलने से गिरकर घायल हो गया था । आहत को राइनो में कार्यरत आरक्षक प्रकाश गिरी गोस्वामी व कीर्तन यादव चौकी जूटमिल द्वारा ईआरव्ही वाहन से चत्ता॥ रायगढ़ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

रोड एक्सीडेंट

दिनांक 28.11.2019 के दोपहर 13:03 बजे पुसौर राइनो को रोड एक्सीडेंट के इवेंट पर कुसमंदा के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल पर बलराम विश्वकर्मा पिता गोविंद विश्वकर्मा उम्र 45 साल निवासी गोर्रा मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गया था जिसे पुसौर राइनो पर स्टाफ महादेव बंजारा द्वारा ईआरव्ही वाहन से सीएचसी पुसौ में भर्ती कराया गया है।

फायर इवेंट

दिनांक 28.11.2019 को चक्रधरनगर/धरमजयगढ़ को फायर का इवेंट मिला। दोपहर 13:31 बजे चक्रधरनगर राइनो को गढ़उमरिया सीएचईएन रेसिंग लिमिटेड ईटीपी प्लांट में आग लगने का इवेंट प्राप्त हुआ। चक्रधरनगर राइनो व फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया है।

आमद देने में लेटलतीफी करने वाले दो आरक्षक निलंबित

आदर्श आचार संहिता में की गई लापरवाही पर सख्त हुए एसपी

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा दिनांक 19 एवं 21.11.2019 को जिले के विभिन्न थाना चौकियो में पदस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से नवीन थाना/चौकी में स्थानांतरित कर स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। स्थानांतरण पश्चात सभी अधिकारी/कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर शीघ्र आमद दिए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय

रायगढ़ द्वारा सभी थाना/ चौकी प्रभारियों को निर्देशित किये थे। साथ ही यह भी बताया गया था कि वर्तमान में नगरी निकाय 2019 के परिपेक्ष्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है अवकाश आदि पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद जिले के थाना कोतरारोड के आरक्षक धनुर्जय बेहरा तथा रक्षित केंद्र रायगढ़ में पदस्थ आरक्षक आशीष सोनकर अपनी पदस्थापना स्थल से नवीन पदस्थापना के लिए रवानगी लेकर आमद देने में लेटलतीफी बरती जा रही थी। जिसे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुशासनहीनता की श्रेणी में लेकर आज दोनों कर्मचारियों को निलंबित किए हैं , जिनका निलंबन के दौरान मुख्यालय रक्षित केंद्र रायगढ़ रहेगा।

साथ ही सभी थाना /चौकी प्रभारियों को पुनः कर्मचारियों को पदस्थापना स्थल पर शीघ्र आमद दिए जाने एवं आचार संहिता दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

ट्रैक्टर की ठोकर से बाईकसवार की मौत, एक घायल, ट्रैक्टर चालक पर जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम दमदमा थाना डोंगरीपाली में रहने वाला साधुराम पटेल पिता मायाराम पटेल उम्र 55 वर्ष दिनांक 27/11/19 को मोटर सायकल क्र. ओडी 17- डी- 2208 से अपने बहनोई सुभाष पटेल के साथ लडकी देखने ग्राम तरेकेला से सेमरा जा रहे थे। मोटर सायकल को सुभाष पटेल चला रहा था पीछे में साधुराम पटेल बैठा था। सुबह करीब 8/30 बजे दोनों मोटर सायकल से धौरादरहा से कलाखुंटा जाने वाली मुख्य मार्ग पर ढोसरबहार तिरहा के पास पंहुचे जहां धौरादरहा तरफ से आ रहे स्वराज ट्रेक्टर का चालक तेजी एवं लापरवाही पूर्व चलाकर ट्रेक्टर चलाते हुए मोटर सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे मोटर सायकल के पीछे

बैठे साधुराम पटेल के सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही फौत हो गया एवं सुभाष पटेल को चोट आयी है। घटना की सूचना पर डॉयल 112 व डोंगरीपाली पुलिस मौके पर पहुंची। आहत को सीएससी बरमकेला में भर्ती कराया गया तथा मौके पर मृतक के भाई सुरेश पटेल उम्र 42 वर्ष निवासी दमदमा के रिपोर्ट पर ट्रेक्टर चालक के विरूद्ध अप.क्र. 48/19 धारा 279, 337, 304(ए) आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जीआरपी के 4 निरीक्षक, 3 एसआई तथा 11 एएसआई का तबादला

रायपुर (आरएनएस)। रेल पुलिस अधीक्षक ने जीआरपी के 4 निरीक्षक, 3 एसआई तथा 11 एएसआई का तबादला आदेश जारी किया है। रायपुर जीआरपी थाना प्रभारी सहित सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को नई पदस्थापना मिली है। रायपुर थाने का प्रभार राजकुमार बोर्झा को दिया गया है।

आदेश के अनुसार निरीक्षक घसियाराम राठिया जीआरपी थाना रायगढ़ को थाना प्रभारी डोंगरगढ़, निरीक्षक निरंजन सिंह ठाकुर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ से रायगढ़, निरीक्षक इफ्कत आरा खैरानी थाना प्रभारी भिलाई से

बिलासपुर, राजकुमार बोर्झा विभागीय निरीक्षक बिलासपुर से थाना प्रभारी रायपुर, उपनिरीक्षक एल.एस. राजपूत थाना प्रभारी रायपुर से भिलाई, उपनिरीक्षक ए.आर.खटकर रक्षित केन्द्र रायपुर से चौकी प्रभारी बालोद, उपनिरीक्षक सोमनाथ कश्यप चौकी प्रभारी बालोद से चौकी प्रभारी भाटापारा, सउनि धरमराज ध्रुव रायपुर से डोंगरगढ़, सउनि नंदलाल साहू डोंगरगढ़ से रायपुर, सउनि भूपेश राठौर बिलासपुर से भिलाई, सउनि भरतलाल सोनी भिलाई से बिलासपुर, सउनि रमेश पाण्डेय चौकी प्रभारी चरौदा से चौकी प्रभारी चांपा, सउनि अनंत राम सहारे दुर्ग से रायगढ़, सउनि अंजोर राम पटेल चौकी प्रभारी राजनांदगांव से चौकी प्रभारी पेण्ड्रा, सउनि रामसिंह लकड़ा रायगढ़ से दुर्ग, सउनि देवनारायण श्रीवास्तव चौकी प्रभारी पेण्ड्रा रोड से चौकी प्रभारी चरौदा, सउनि भोलानाथ मिश्रा थाना प्रभारी बिलासपुर से चौकी प्रभारी राजनांदगांव, सउनि महेन्द्र पाण्डेय चौकी प्रभारी भाटापारा से जीआरपी थाना रायपुर स्थानांतरित किया गया है।

अनियंत्रित ट्रेलर खाई में गिरी, लगी आग

न्याय साक्षी/रायगढ़। जानकारी में मुताबिक धरमजयगढ़ के सिसरिंगा घाटी में अनियंत्रित ट्रेलर पलटकर खाई में गिर गई है। ट्रेलर में शार्ट सर्किट के चलते आग लग गई, ट्रेलर में कोयला लोड थी।

पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ द्वारा डॉयल 112, रायगढ़ फायर, जशपुर कंट्रोल रूम एवं टी.आर.एन घरघोड़ा को दिया गया। मौके पर पत्थलगांव फायर ब्रिगेड, टेंडा नवापारा छाल की फायर ब्रिगेड, धर्मजयगढ़ पुलिस व राइनो स्टाफ द्वारा मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया है।

बताया जा रहा है कोयले से लोड ट्रेलर पत्थलगांव से धरमजयगढ़ की ओर जा रही थी तभी घाटी के पास अनियंत्रित होने के कारण हादसा बड़ा हादसा हो गया। हालाकि की इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नही है वही ट्रक चालक और सहचालक मौके से फरार हो गए है घटना फारेस्ट लैंड में होने की वजह से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुचे।

रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को नाम निर्देशन के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण

» नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी नियमानुसार धनराशि निक्षेप के रूप में जमा करायें

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 के लिए आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी की उपस्थिति में नाम निर्देशन के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर प्राचार्य राजेश डेनियल और अनिल गुप्ता ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल ने कहा कि निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख से रिटर्निंग आफिसर के रूप में आपकी महती जिम्मेदारी का दौर आरंभ हो जाता है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले नियम 26 के अनुसार नियमानुसार धनराशि निक्षेप के

रूप में जमा कराएं। पार्षद के स्थान के लिए नगर पंचायत में 1000 रुपए की धनराशि, नगरपालिका परिषद के लिए 3000 की धनराशि और नगरपालिका निगम के लिए 5000 रुप की धनराशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 10000 रुपए की धनराशि और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के स्थान के लिए 15000 रुपए धनराशि और नगरपालिका निगम के महापौर के स्थान के लिए 20000 की धनराशि जमा करनी होगी।

प्रशिक्षण में बताया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग के सदस्य हो वहां इस नियम के अधीन उसे उपरोक्त धनराशि का केवल आधा भाग अर्थात 50 प्रतिशत निक्षेप के रूप में जमा करना होगा।

यह राशि या तो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय या नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद जमा करानी होगी अथवा उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप कोषालय में निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत चालान से जमा कराई जा सकती है। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र जमा होने के बाद नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जांच करनी होगी। साथ ही प्रतिदिन प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों के विवरण का प्रकाशन करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन की संवीक्षा रिटर्निंग अधिकारी करेंगे।

प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों की नाम वापसी तथा अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों नाम वापसी की सूची का प्रकाशन भी किया जाना होगा। निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन आदि निर्वाचन से संबंधित विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन के अधीक्षक कृपाराम सिदार उपस्थित थे।

रकबा में कटौती को लेकर विपक्षी सदस्यों ने किया हंगामा, गर्भगृह में किया प्रवेश हुए निलंबित

रायपुर (आरएनएस)। विधानसभा में आज प्रदेश में धान का रकबा में कटौती करने के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और गर्भगृह में प्रवेश कर स्वयमेव निलंबित हो गए। इसके बाद सदन से बाहर जाकर विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया।

विधानसभा में आज भाजपा सदस्यों ने प्रदेश में किसानों के धान का रकबा को कम करने प्रदेश के कलेक्टरों को निर्देश देने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया। इसका समर्थन बसपा और जनता कांग्रेस छग जे के सदस्यों ने भी दिया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह गंभीर मामला है। किसानों के हित से जुड़े इस मामले पर चर्चा की जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को एफआईआर कराने की धमकी दे रही है। यह स्वीकार्य नहीं है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस मामले में कहा कि रकबे में अनावश्यक कटौती करने के कोई निर्देश जिला कलेक्टरों को नहीं दिया गया है। रकबा संशोधन निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 27 लाख 23 हजार हेक्टेयर रकबा पंजीकृत है। एक लाख 62 हजार रकबे में बढ़ोत्तरी हुई है। भगत ने कहा कि जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और डीएफओ को सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान रोकने के निर्देश शासन को दिए हैं। विपक्षी सदस्य मंत्री के जवाब से संतुष्ठ नहीं हुए और स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर इस पर तुरंत चर्चा कराए जाने की मांग आसंदी से करते हुए शोर-शराब करने लगे। इस शोर-शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी सत्ता और विपक्षी सदस्यों के बीच नोंक-झोंक जारी रही। इस दौरान विपक्षी सदस्य गर्भगृह में चले गए और स्वयमेव सदन की कार्यवाही से निलंबित हो गए। इसके बाद सभी निलंबित सदस्य सदन से बाहर विधानसभा परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे।

अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र ऑनलाईन भरना होगा

» अभ्यर्थियों की सहायता हेतु सुविधा केन्द्र स्थापित

» केन्द्रों में नामांकन पत्र भरने की सुविधा निःशुल्क होगी

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 की घोषणा कर दी गई है। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 21 दिसम्बर 2019 को मतदान एवं 24 दिसम्बर को मतगणना होगा। 30 नवम्बर 2019 से 6 दिसम्बर 2019 तक अभ्यर्थी नामांकन फार्म जमा कर सकते है। स्कुटनी 7 दिसम्बर को एवं 9 दिसम्बर को अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को अपना नामांकन पत्र ONNO सॉफ्टवेयर के लिंक http:// cgsecon-no.in के माध्यम से ऑनलाईन फार्म भरना होगा। जिले के सभी रिटर्निंग आफिसर कार्यालयों में नामांकन पत्र भरने में अभ्यर्थियों की सहायता हेतु सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है। उक्त सुविधा केन्द्रों में नामांकन पत्र भरने की सुविधा निःशुल्क होगी।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर.ए.कुरूवंशी ने बताया कि चिन्हांकित एवं मान्यता प्राप्त च्वाईस सेंटरों में नामांकन फार्म भरने की सुविधा दी गई है।

इनमें रायगढ़ अंतर्गत संदीप सिंग-सांई कृपा ऑनलाईन अमलीभौना रायगढ़, अनिश अग्रवाल-सत्तीगुड़ी चौक कोतरा रोड रायगढ़, बिहारीलाल पटेल-सत्तीगुड़ी रोड हण्डी चौक रायगढ़, सुरेश ढीमर-कोतरा रोड रायगढ़, संजय कुमार साव-तहसील ऑफिस के पास रायगढ़, खगेन्द्र कुमार जायसवाल-जूटमिल रायगढ़, रवि रश्मि सिंह-सांई कम्प्यूटर एण्ड डाटा मेंटेनेंस केलो बिहार कालोनी रायगढ़ निर्धारित है।

नगरीय निर्वाचन के लिए गठित मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति की बैठक आयोजित

» निर्वाचन व्यय व पेड न्यूज की होगी सतत् निगरानी

» प्रिटिंग प्रेस के प्रकाशक एवं मुद्रक अनिवार्य रूप से डालेंगे प्रिन्ट लाईन

» उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 127 ए के तहत सजा व जुर्माने का प्रावधान

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 के लिए गठित मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार के निर्देशानुसार समिति की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समिति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी किए गए निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर सदस्य सचिव उप संचालक जनसंपर्क डॉ.उषा किरण बड़ाईक तथा सदस्य दैनिक भास्कर के संपादक विनोद सोमवंशी तथा अन्य समिति सदस्य बैठक में सम्मिलित हुए। मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल द्वारा निर्वाचन व्यय के संबंध में बताया गया कि किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नामांकन से परिणाम की घोषणा तक निर्वाचन के उद्देश्य से किए गए खर्च निर्वाचन व्यय के अंतर्गत आयेंगे। साथ ही सभी प्रकार के मीडिया में दिए गए कोई भी खबर या विश्लेषण जो किसी प्रतिफल की आशा से दिए गए है एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अन्यों द्वारा अभ्यर्थियों की निर्वाचन संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपील या विज्ञापन पेड न्यूज की श्रेणी में आयेंगे। जिसकी सतत् निगरानी के लिए ही जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति अभ्यर्थियों के लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी और पेड न्यूज की भी जांच करेगी। उक्त प्रकाशित सामग्री सही पाये जाने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन के वास्तविक व्यय में शामिल करने हेतु आदेशित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में राजनैतिक विज्ञापनों का समिति के द्वारा प्रमाणन के पश्चात ही प्रसारण किया जा सकेगा। चर्चा में यह भी बताया गया कि यदि विज्ञापन अभ्यर्थी के प्राधिकार के बिना दिया गया है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ज के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के विरूद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाही की जायेगी।

प्रिटिंग प्रेस के विषय में बताया गया कि प्रत्येक मुद्रक एवं प्रकाशक के द्वारा जो निर्वाचन से संबंधित जो भी सामग्री का प्रकाशन करेंगे तो उसके नीचे प्रिंट लाईन डाला जाना अनिवार्य होगा। जिसमें मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, छपाई एवं मुद्रित किए गए सामग्री की कुल संख्या तथा मुद्रण की तिथि का लेख करना होगा। इसके उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 127 ए के तहत संबंधित के विरूद्ध सजा व जुर्माना का प्रावधान है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480